मांग पत्र

दिनांक 14 जून 2013 को उप विकास आयुक्त, लातेहार की उपस्थिति में मनिका प्रखण्ड परिसर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समेकित बाल विकास योजना, लक्षित जन वितरण प्रणाली, पेंशन योजनाएं एवं मध्याह्न भोजन योजना पर जनसुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न हई। सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सलाहकार सदस्य बलराम जी, प्रो0 ज्याँ द्रेज एवं ऋतिका खेड़ा, मनरेगा लोकपाल, लातेहार, प्रशासनिक पदाधिकारी, पंचायत राज प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों इस जनसुनवाई में भागीदार रहे। योजनाओं से जुड़े लाभुकों के पक्ष एवं क्रियान्वयन से जुड़े एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर हम निम्नलिखित मांग करते हैं।

हमारी प्रमुख मांगे

समेकित बाल विकास योजना एवं मध्यान भोजन योजना खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आधार हैं, अतः–

- ऐसे टोले जहां 0–6 वर्ष तक 40 बच्चे है, वहां तुरंत सर्वे कर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं।
- जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मति या पुनर्निमाण तत्काल प्रारंभ किए जाएं।
- आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित रूप से और पूरे निर्धारित समयावधि तक सुनिश्चित किये जाएं।
- टीएचआर में दी जाने वाली राशन कम मात्रा में वितरण किए जा रहे हैं, जिसे पूरी मात्रा में दी जाए
- ए0एन0एम0 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से टीकारण किये जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार शेष सेवाएं भी सेविकाओं द्वारा नियमित रूप दिए जाएं।

मध्याह्न भोजन योजना :–

मध्याह्न भोजन विद्यालयों में नियमित रूप से बच्चों को दिए जा रहे हैं, परन्तु मीनू के हिसाब से पोषाहार नहीं मिल रहा है। जिसमें सप्ताह में एक दिन अण्डा शामिल नहीं है।

पेंशन योजना :–

- पेंशन योजनाएं (विधवा एवं वृद्धाव्यस्था पेंशन) के लाभुकों की सूची का सत्यापन 1 माह के अंदर किया जाए, जिसमें मृत लाभुकों तथा दोहरे नामों को विलुप्त कर प्रतिक्षारत या योग्य लाभुकों के नामों को स्वीकृति देकर योजना का लाभ दिया जाए।
- राशन एवं पेंशन योजना दोनों का लाभ एक व्यक्ति या परिवार को मिलने का हक है। लाभुकों को इससे अलग न किया जाए। 60 वर्ष से उपर के दोनों वृद्ध एवं वृद्धा (पति–पत्नी) को पेंशन पाने का भी अधिकार है।

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन योजना का भुगतान प्रत्येक माह के 7 वीं तिथि को उनके खाते में करना सुनिश्चित किया जाए।
- पेंशनधारियों की सूची सर्वजनिक जगहों पर चिपकायी जाये एवं दिवाल लेखन कर सार्वजनिक की जाये।
- पेंशन भुगतान एजेंसियों यथा बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में लाभुकों के सहायता के लिए सहायता केन्द्र संचालित किये जाएं जहां निकासी फार्म भरने एवं पासबुक अद्यतन जैसे कार्य किये जा सकेंगे।
- वैसे वृद्धावस्था पेंशनधारी जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है, उनका भौतिक सत्यापन कर उन सभी लभुकों को 700 रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- प्रत्येक गांव में काम मांग करने वाले मजदूरों की संख्या के अनुपात में योजनाओं की स्वीकृ ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही किये जाएं। जिससे कि काम मांग के आलोक में तत्काल मजदूरों को काम का आवंटन कर दिया जाए।
- सर्वे टीम द्वारा समर्पित किये जा रहे सभी शिकायतों पर मनरेगा की सुसंगत धाराओं के तहत् 7 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- सर्वे टीम द्वारा विलंबित मजदूरी भुगतान के मामले आए हैं ऐसे मामलों पर मजदूरों को अब तक लंबित मजदूरी एवं हर्जाना सहित भुगतान आगामी 7 दिनों के अन्दर सुनिश्चित की जाए।
- मजदूरों के समक्ष उपलब्ध रोजगार कार्ड में दर्ज विवरणी एवं एमआईएस में दर्ज सूचनाओं में भारी अन्तर है। इसे समयबद्ध कार्य योजना तय कर इसे दूर किया जाए।

लक्षित जनवितरण प्रणाली

- ए0 पी0 एल0/बी0 पी0 एल0 खत्म करो, सबको राशन पेंशन दो।
- जब तक उपरोक्त मांग पूरी नहीं होती है तब तक राशन दुकान से सभी लाभुकों को निर्धारित मात्रा अर्थात् 35 किलो राशन प्रतिमाह वितरण करना सुनिश्चित की जाए।
- अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 लाभुकों की सूचि को भी सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाएं जाएं।
- आवंटन के आलोक में ए0 पी0 एल0 खाद्यान्न का उठाव भी सुनिश्चित की जाए।

प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों के हस्ताक्षर